



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2770/2026

साहिल @ तुल्ली

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

: प्रतीक श्रीवास्तव

प्रतिवादी अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य के विधि अधिकारी श्री आर.पी. सिंह को सुना और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 360/2025, धारा 103(1), 3(5) बीएनएस, पुलिस स्टेशन ट्रॉनिका सिटी, जिला गाजियाबाद के अंतर्गत मुकदमा के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में लगभग उन्नीस घंटे की देरी हुई है और इस देरी का कोई कारण नहीं बताया गया है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक को सिर्फ शक के आधार पर प्राथमिकी में नामज़द किया गया है। यह कहीं नहीं बताया गया है कि जानकारी का स्रोत क्या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



था जिसके आधार पर उसने आवेदक के खिलाफ आरोप लगाए। इसके बाद, लगभग बारह दिन की देरी के बाद यानी 4.8.2025 को, दो गवाहों, रिहान अंसारी @ चिकना और शोएब @ काले ने आवेदक के खिलाफ गवाही दी, जिसमें उन्होंने उसे दो अन्य सह-आरोपियों के साथ मृतक व्यक्ति पर हमला करते देखा था। इस बयान का कोई वजन नहीं है क्योंकि उनके नाम प्राथमिकी में नहीं थे, बल्कि उनका नाम बाद में लिया गया है, इसलिए, उक्त गवाह इच्छुक गवाह हैं।

6. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 24.7.2025 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

7. विद्वान राज्य के विधि अधिकारी ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया है लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर कोई बहस नहीं हो सकी।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, प्राथमिकी में देरी और गवाहों के नाम प्राथमिकी में न होने को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, पहली नज़र में न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत अर्जी **मंज़ूर** की जाती है।

9. आवेदक- **साहिल @ तुल्ली**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापित किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

10. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



28 जनवरी, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।